

( राजस्थान-सरकार )  
न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 12/2025

पंजीकरण सं. :- 2025/93

**बचनवान**

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों(राज.)

(प्रार्थी)

**बनाम**

1. श्री कृष्णावतार उम्र 25 वष पुत्र श्री रामकरण जाति धाकड निवासी लक्ष्मीपुरा, छीपाबडौद जिला बारों (राज.) (विक्रेता) मैसर्स धाकड किराना स्टोर, सालपुरा रोड छीपाबडौद जिला बारों (राज.)
2. श्री सत्यनारायण नागर पुत्र श्री गोविन्द नागर निवासी लक्ष्मीपुराकला पो0 मौखमपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारों राज. (मालिक) मैसर्स धाकड किराना स्टोर सालपुरा रोड छीपाबडौद जिला बारों (राज.)

(अप्रार्थीगण)

**जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011**

उपस्थिति :- 1- अनुपस्थित खा.सु.अ.

(प्रार्थी)

2- स्वयं उपस्थित

(अप्रार्थीगण)

**निर्णय दिनांक 29.12.2025**

प्रकरण राजस्थान सरकार जयें श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक दिनांक 24.01.2024 को मैसर्स धाकड किराना स्टोर, सालपुरा रोड छीपाबडौद जिला बारों (राज.) पर पहुंचा। वहाँ पर श्री कृष्णावतार पुत्र श्री रामकरण जाति धाकड (विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.01.2024 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दि. 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ **शुद्ध देशी घी (अमोल डेयरी) 07** लीटर घी मूल गत्ते पैक में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **शुद्ध देशी घी (अमोल डेयरी)** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ **शुद्ध देशी घी (अमोल डेयरी) 04** लीटर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत श्री सत्यनारायण नागर पुत्र श्री गोविन्द नागर (विक्रेता) को 2200/- रुपये (अक्षरे दो हजार दो सौ रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **शुद्ध देशी घी (अमोल डेयरी) मूल गत्ते पैक** के चार भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-2017 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-2017 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जापें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री सत्यनारायण नागर पुत्र श्री गोविन्द नागर (विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2024/603 दिनांक 22.02.2024 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या 70/PHL/Kota/Act/2024/125 दिनांक 8.02.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **शुद्ध देशी घी (अमोल डेयरी)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zz) (iv) एवं 3(1)(zz) (xi) के तहत असुरक्षित (**Unsafe**) होना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त नमूने की पुनः जांच करवाई गई जो रेफरल फूड लेबोरेट्री सीएसआईआर-सीएफटीआरआई, मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या 582F/FSSA/2024 दिनांक 10.06.2024 से अवमानक (**Sub Standard**) होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 25.11.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्घे रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई।

**राज. सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां** ने परिवाद में अंकित किया है कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **शुद्ध देशी घी (अमोल डेयरी)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह रेफरल फूड लेबोरेट्री सीएसआईआर-सीएफटीआरआई, मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या 582F/FSSA/2024 दिनांक 10.06.2024 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

**अप्रार्थीगण के द्वारा दौराने बहस** प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ एवं मेरे अभी नई दुकान डाली गयी है। जिसे करीब तीन साल का समय हुआ है। मेरा सेम्पल लिया गया था, मेने सभी दस्तावेज उन्हे दे दिये थे। बैंक द्वारा डी.डी. बनवाया गया था। जो भी जुर्माना लगाना हो वह कम्पनी पर लगाया जावे। हम नेये होने के कारण हमे पूर्ण जानकारी भी नही थी। जो भी कार्यवाही की जावे वह कम्पनी के उपर की जावे। अतः मेरे विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जावे।

**प्रकरण में अप्रार्थी की एकपक्षीय** अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पत्रांक 837 दिनांक 8.7.2024 से अप्रार्थी से खरीद बिल चाहे गये थे। जो उसके द्वारा तत्समय प्रस्तुत नहीं किये गये। अब अपने जवाब के साथ प्रस्तुत किया गया है। श्री श्री राम किशना स्टोर छीपाबडौद का बिल नं0 51 दिनांक 19.12.2025 का है। जबकि सेम्पल दिनांक 24.01.2024 है, जो माने जाने योग्य नहीं है। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जांच हेतु कय किया गया खाद्य पदार्थ **शुद्ध देशी घी (अमोल डेयरी)** रेफरल फूड लेबोरेट्री सीएसआईआर-सीएफटीआरआई, मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या 582F/FSSA/2024 दिनांक 10.06.2024 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण को कुल जुर्माना राशि 50,000/- रुपये (अक्षरे पचास हजार रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक में **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **29.12.2025** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( भंवर लाल जनागल )  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,  
बारां (राज.)